उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

संख्या : 1932–पें0एण्डआर0–28/पाकालि/10–60पी/98–टी0सी0–II दिनांक : 2/ जुलाई, 2011

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उ0प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप/शुद्वि पत्र संख्या सा–3–40–वी0आई0पी0/दस–2009–308–97टीसी, दिनांक 11.01.2010 द्वारा दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1508/दस–2008–308/97, दिनांक 08.12.2008 जिसे कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–397–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2009–60–पीएण्डआर/98, दिनांक 02.03.2009 द्वारा अपने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू किये जाने हेतु अंगीकृत किया जा चुका है, के प्रस्तर–7 (1) के अंश " दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणो में 07 वर्ष की सीमा को बढाकर 10 वर्ष कर दिया गया है " को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर **<u>" 01.01.2006 से 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, 10 वर्ष की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु 10 वर्ष की अवधि उस मामले में लागू नहीं होगी जहाँ बढ़ी हुई कुटुम्ब पेन्शन की 07 वर्ष की अवधि पहले ही दिनांक 01.01.2006 को पूरी हो गई थी और परिवार को दिनांक 01.01.2006 को सामान्य कुटुम्ब पेन्शन प्राप्त हुई थी "</u>** प्रतिस्थपित कर दिया गया है। उ0प्र0 शासन द्वारा संशोधित उक्त व्यवस्था को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं वितरण कम्पनियों एवं ट्रान्सकों के पारिवारिक पेन्शनरो के लिए निदेशक मंडल की कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप/शुद्वि पत्र दिनांक 11.01.2010 को अंगीकृत किया जाता है।

<u>अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक</u>

<u>संख्या :– 1932(1) पी0एण्डआर0/पाकालि0/2010, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्मिांचल/दक्षिणांचल विद्युत निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

क्रमशः 2

11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
14. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर आपर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12–आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
15. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर--ए, महानगर, लखनऊ।
16. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस–II, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. कट फाइल।

आज्ञा से,

(एच0सी0 लाल)
<u>अनुसचिव (पे0एवंआर0)</u>